बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषयः—नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता द्वारा सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से **e-voting System** का उपयोग करने हेतु नामांकन के आधार पर कुल ₹ 31.4588 लाख **(GST सहित)** (एकतीस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ अस्सी रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर **C-DAC,** हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के 08 नगर निकायों यथा—नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, दानापुर निजामत, खगौल, सोनपुर एवं नगर पंचायत महाराजगंज, मदनपुर, जम्हौर, मधुबन का आम निर्वाचन तथा शेष 18 जिलों के 30 नगर निकायों में उप निर्वाचन, मई—जून, 2026 में कराया जाना है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243—ZA एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 2 (90) सहपठित धारा—14 के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में स्वतंत्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ नगरपालिका निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने का प्रावधान है।

3. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता एवं प्रथम बार नामित मतदाता को सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से e-voting system का उपयोग कर मतदान कराने संबंधित कार्य कराया जाना है।

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 1029 दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से C-DAC हैदराबाद द्वारा उक्त विधि से निर्वाचन कराये जाने में कुल ₹ 31.4588 लाख (GST सहित) (एकतीस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ अस्सी रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर कार्य कराये जाने हेतु विभागीय अनुमति की मांग की गई।

4. उल्लेखीनय है कि पूर्व में नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 में निर्वाचन हेतु 6 नगरपालिकाओं यथा, नगर पंचायत, मेहसी, पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण), नगर पंचायत, कोचस (रोहतास) तथा नगर पंचायत खुशरूपुर नौबतपुर एवं विक्रम (पटना) का आम निर्वाचन C-DAC हैदराबाद से कराया गया है। e-voting system का उपयोग कर मतदान कराने का अच्छा अनुभव रहा है तथा मतदान प्रतिशत भी बढ़ा था।

5. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम 85 में नगरपालिका निर्वाचन हेतु ई0वी0एम0 एवं ई0 वोटिंग द्वारा मतदान कराने का प्रावधान है।

6. Ministry of Electronics & Information Technology (Meity), Government of India के पत्र DO-Meity/R&D/C-DAC/2/2018 दिनांक 14.03.2019 द्वारा C-DAC को नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन करने का अनुरोध किया गया है।

7. उक्त के आलोक में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता द्वारा सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से e-voting System का उपयोग करने हेतु नामांकन के आधार पर कुल ₹ 31.4588 लाख (GST सहित) (एकतीस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ अस्सी रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर C-DAC, हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने पर सहमति संसूचित की जाती है।

8. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 06.05.2026 को आहूत बैठक के मद संख्या 04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

ह0/–

(राजीव कुमार श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–11 / न0वि0 / निर्वा–03 / 2025 / न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सी0डी0 के साथ असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–11 / न0वि0 / निर्वा–03 / 2025 / 503 / न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 07/05/26

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार/महालेखाकार, बिहार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/5/2026

सरकार के विशेष सचिव।